बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

संख्या–9 / आरोप (राज0)(उ0)–2–02 / 2012–5112 / श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विदेशी शराब / बीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उठाव नहीं होने से सरकारी राजस्व की अपूरणीय क्षति होने, अनुज्ञप्तिधारी से मिलीभगत कर निजी लाभ उठाने एवं कर्त्तव्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने तथा उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने आदि आरोपों के लिये विभागीय संकल्प सं0–2498 दिनांक–22.05.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में तीनों आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14(XI) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–16.06.2016 के मद सं0–28 के रूप में उक्त विभागीय प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। तदालोक में विभागीय अधिसूचना सं0–3038 दिनांक–28.06.2016 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. श्री कुमार द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-610/2017 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक–09.05.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

The order of the disciplinary authority is non-speaking and proceeds to uphold the guilt mechanically without discussing the defence led by the petitioner and as I have observed, without dealing with the issue raised. The entire proceedings questioned in the writ petition is a bundle of illegalities and cannot be upheld and in consequence, the entire proceedings including the chargesheet, the enquiry report together with the impugned order or dismissal bearing memo No.-3038 dated-28-06-2016 passed by the State Government in its Registration, Excise and Prohibition Department impugned at Annexure-28 cannot be upheld and are accordingly quashed and set aside. The petitioner is reinstated with full consequential benefits. The writ petition is allowed. In result, the review petion stands disposed of.

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–09.05.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध विधि विभाग से परामर्श प्राप्त कर LPA– 1123 / 2017 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–11.10.2018 को निम्नांकित आदेश पारित किया गयाः–

" In view of the above and for the reasons stated above, we modify the impugned judgment and order passed by the learned Single Judge to the extent to reserve liberty in favour of the appellant-State to hold a fresh de novo enquiry in accordance with law and the rules on the same charge. The present Letters Patent Appeal is partly Allowed to the aforesaid extent."

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.– 1123/2017 में दिनांक–11.10.2018 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–2833 दिनांक–06.08.2019 के द्वारा पुनः श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। विभागीय अधिसूचना सं0–2254 दिनांक–28.06.2019 के द्वारा श्री अश्विनी कुमार के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–3038 दिनांक–28.06.2016 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड को निरस्त करते हुए उसी तिथि से सेवा में पुनः बहाल किया गया। श्री कुमार के दिनांक–30.09.2022 को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने के कारण विभागीय संकल्प सं0–5230 दिनांक–07.10.2022 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनके सेवानिवृत्ति के तिथि के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

5. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में डॉ0 सफीना, ए0एन0, भा0प्र0से0, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद सह जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–177 दि0–23.01.2025 द्वारा जाँचोपरांत जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें विभागीय संकल्प के साथ संलग्न आरोप पत्र में अंकित आरोप– 1. विदेशी शराब/बीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उठाव नहीं होने से राजस्व की अपूरणीय क्षति, 2. अनुज्ञप्तिधारी से मिलीभगत कर निजी लाभ उठाना, 3. कर्तव्य में शिथिलता एवं उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के तहत् कार्रवाई के आलोक में आरोपी पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवाद्वा सम्प्रति सेवानिवृत को जॉच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक–791 दि0–21.02.2025 एवं विभागीय पत्रांक–1719 दि0–02.04.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गई जिसके अनुपालन में श्री अश्विनी कुमार, सेवानिवृत्त अधीक्षक मद्यनिषेध द्वारा अपना लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन दिनांक–12.04.2025 को समर्पित किया गया।

7. अपने बचाव बयान में आरोपी पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अंकित किया गया है कि उन्हें जहानाबाद सह अरवल जिला के अतिरिक्त नवादा जिले का प्रभार प्रदान किया गया जो विभाग द्वारा उनकी कार्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए ही किया गया था। विदेशी शराब बीयर में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उठाव नहीं होने से राजस्व की अपूरणीय क्षति से संबंधित आरोप के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक–07.10.2006 को नवादा जिला का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् श्री संजय सिंह, अनुज्ञप्तिधारी, विदशी शराब खुदरा दुकान (सम्पूर्ण नवादा जिला) द्वारा माह अक्टूबर, 2006 में निर्धारित कोटा से कम उठाव करने के कारण उनके स्तर पर स्पष्टीकरण की माँग की गई तथा ह्रासित कोटा की मात्रा का उठाव करने का निदेश दिया गया था परंतु उनके द्वारा पूर्णरूपेण उठाव नहीं किया गया। इसके कारण अनुज्ञप्तिधारी से पुनः दि0–05.01.2007 तक स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण पर ही समाहर्ता, नवादा द्वारा दि0–22.01.2007 को अनुज्ञप्ति विखंडन करने का निर्णय लिया गया। विदेशी शराब की खपत माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसम्बर, 2006 में बिहार राज्य के सम्पूर्ण 38 जिलों से संबंधित विवरणी से स्पष्ट है कि उक्त अवधि में बिहार के अनेकों जिला में अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित कोटा के विरूद्ध कम उठाव किया गया है लेकिन उस अवधि के अन्य अधीक्षक उत्पाद पर स्पष्टीकरण तक नहीं पूछा गया। अनुज्ञप्तिधारी से मिली

भगत कर लाभ उठाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कर्तव्य में शिथिलता एवं उच्चाधिकारियों के निदेशों की अवहेलना करने संबंधी आरोप के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वे तीन जिलों के प्रभार में थे, इसीलिए एक ही समय में तीनों जिलों में उपस्थित होकर कार्य करना संभव नहीं हो सकता था। संबंधित मामला अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2006 में घटित हुई थी जबकि विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प साढे पाँच वर्ष बाद निर्गत किया गया। अंततः उनका कहना है कि उनके विरूद्ध पुनः गठित आरोप पर जॉच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा बिना विवेचना किये एक तरफा कार्रवाई करते हुए सभी आरोपों को प्रमाणित कर दिया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है। उनका यह भी कहना है कि प्रपत्र 'क' का गठन घटना के चार साल बाद गठित किया गया जो नियमानुकूल नहीं है।

8. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान में अंकित तथ्यों की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार ने अपने बचाव बयान में अंकित किया है कि दिनांक–07.10.2006 को नवादा जिला का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् श्री संजय सिंह, अनुज्ञप्तिधारी, विदेशी शराब खुदरा दुकान (सम्पूर्ण नवादा जिला) द्वारा माह अक्टूबर, 2006 में निर्धारित कोटा से कम उठाव करने के कारण उनके स्तर पर स्पष्टीकरण की माँग की गई तथा ह्रासित कोटा की मात्रा का उठाव करने का निदेश दिया गया था तथा श्री संजय सिंह, अनुज्ञप्तिधारी, द्वारा निदेश का पालन नहीं करने पर पुनः कारण पृच्छा की गयी किन्तु उन्होंने अपने बचाव बयान में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि विदेशी शराब/बीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव में आई गिराबट से उन्होंने समाहर्त्ता, नवादा को अवगत कराया था अथवा नहीं। श्री संजय सिंह, अनुज्ञप्तिधारी, विदेशी शराब खुदरा दुकान (सम्पूर्ण नवादा जिला) द्वारा दिनांक–04.01.2007 को हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण पर किन परिस्थिति में दिनांक–11.01.2007 का मुद्रांक चिपका हुआ था, इसके संबंध में भी उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी से आरोपी पदाधिकारी द्वारा साँठ–गाँठ कर पूर्व की तिथि में स्पष्टीकरण स्वीकार किया गया एवं समाहर्त्ता, नवादा को अवगत भी नहीं कराया गया। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बंदोवस्ती अधिसूचना के पत्र संख्या 19 एवं 21 (ख) का उल्लंघन कर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में विदेशी शराब/बीयर का उठाव नहीं करने के कारण उनके योगदान के पश्चात् माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2006 में राजस्व की अपूरणीय क्षति हुई किन्तु इससे भी समाहर्त्ता, नवादा को अवगत नहीं कराया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में सरकारी राजस्व की क्षति के संबंध में उन्होंने कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया है बल्कि सरकारी राजस्व की क्षति के लिए सीधे समाहर्त्ता, नवादा को ही दोषी ठहराया है जो उचित नहीं है। साथ ही समीक्षोपरांत श्री कुमार द्वारा अधीक्षक उत्पाद, नवादा के पद पर योगदान के फलस्वरूप स्थिति में सुधार की अपेक्षा निरंतर ह्रास होने से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से मिलीभगत कर निजी लाभ के लिए सरकारी राज़स्व की क्षति पहुंचाया गया, जो उनके पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य में शिथिलता तथा उच्चाधिकारी के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन का द्योतक है। विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के दौरान श्री कुमार विभिन्न तिथियों में अनुपस्थित रहें तथा विभागीय कार्यवाही में वांछित कागजात प्राप्त होने के बाद भी उनके द्वारा विभाग से अन्य कागजातों की मांग किया जाता रहा तथा बचाव बयान समर्पित करने में टालमटोल किया जाता रहा जो आरोपित पदाधिकारी की

विभागीय कार्यवाही में उदासीनता एवं असहयोगात्मक रवैये को दर्शाता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि विभागीय कार्यवाही में विभिन्न तिथियों को सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष द्वारा दिये गये दलील एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी सरकारी राजस्व की अपूर्णीय क्षति, अनुज्ञप्तिधारी से मिलीभगत कर निजी लाभ उठाने एवं कर्त्तव्य में शिथिलता बरतने तथा उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने आदि के आरोपों में दोषी परिलक्षित होते हैं। श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव बयान में सरकारी राजस्व की अपूरणीय क्षति के संबंध में उन्होंने कोई भी तथ्य अंकित नहीं किया है बल्कि इसके लिये सीधे समाहर्त्ता, नवादा को ही दोषी ठहराया गया है, जो उचित नहीं है।

9. अतः संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन/निवेदन/द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरांत बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी0) के तहत् श्री कुमार के पेंशन राशि में 10% (दस प्रतिशत) पेंशन कटौती 05 (पांच) वर्षों के लिए करने के दण्ड के प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक–3201 दिनांक 13.06.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय दंड के निर्णय पर अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2239 दिनांक–21.08.2025 द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व में विभागीय पत्रांक–1006 दिनांक–24.02.2016 के द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध समान आरोपों के लिये सेवा से बर्खास्त करने के विभागीय प्रस्ताव में आयोग के पत्रांक–560 दिनांक–20.05.2016 द्वारा आयोग के परामर्श से विभाग को अवगत कराया गया है। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–9794 दिनांक–22.07.2019 की कंडिका 07 के आलोक में आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं रहने का उल्लेख करते हुए विभागीय प्रस्ताव को बिना आयोग के परामर्श के वापस किया गया।

10. अतएव संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आरोपी पदाधिकारी श्री अश्विनी कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन/द्वितीय बचाव बयान एवं बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श पर सम्यक् विचारोपरांत श्री अश्विनी कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरूद्ध विदेशी शराब/बीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में उठाव नहीं होने से सरकारी राजस्व की अपूरणीय क्षति, अनुज्ञप्तिधारी से मिलीभगत कर निजी लाभ उठाने एवं कर्त्तव्य में शिथिलता बरतने एवं उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने आदि आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी0) के तहत् पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती 05 (पांच) वर्षों के लिए करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/आरोप (राज0)(उ0)–2–02/2012–...../ पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

32

ज्ञापांक–9/आरोप (राज0)(उ0)–2–02/2012–................../ पटना, दिनांक–....................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–9/आरोप (राज0)(उ0)–2–02/2012–5112/ पटना, दिनांक–02.09.25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/अधीक्षक मद्यनिषेध, जहानाबाद/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अश्विनी कुमार, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पता–301, देवलोक अपार्टमेन्ट, न्यू पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना–13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव